IV 105

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 120388

- 8 DEC 2012

21.12.2012

दस्तावेज ट्रस्ट (डीड) / न्यास पत्र)

हम कि लालजी यादव पुत्र स्व फौजदार यादव व श्रीमती रम्भा देवी पत्नी श्री लालजी सिंह यादव, ग्राम झोटारी धामूपुर गाजीपुर इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं जो दिनांक 24-12-2012 को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम,पर्यावरण सुरक्षा। आध्यात्मक एवं धर्म सुरक्षा शैक्षिक जागरूकता शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रूचि रखने के कारण ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। हम लालजी सिंह यादव संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/मुख्य ट्रस्टी व श्रीमती रम्भा देवी महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए **माँ मेवाती एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट** की स्थापना करते हैं। इस ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धक कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों उपबन्धों के अन्तर्गत की जायेगी। ट्रस्ट का नाम पता निम्नवत है।

ट्रस्ट (न्यास0 का नाम - माँ मेवाती एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता-	ग्राम	झोटारी धामूपुर
	थाना	दुल्लहपुर
	परगना	शादियाबाद
	तहसील	जखनियाँ
	जनपद	गाजीपुर

मुख्यालय - पंजीकृत कार्यालय ग्राम झोटारी पोस्ट दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर (उ0प्र0) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं।

लालजी यादव

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515717

(1) श्री लालजी यादव पुत्र स्व0 फैजदार यादव ग्राम झोटारी पोस्ट दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)

(2) श्रीमती रम्भा पत्नी श्री लालजी यादव ग्राम झोटारी पोस्ट धामूपुर गाजीपुर (महा सचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)

3- अनुपमा यादव पुत्री इन्द्राज यादव ग्राम भरथही पोस्ट- समेंदा जिला-आजमगढ़ (सदस्य)

4- श्रीमती पुष्पा यादव पत्नी डॉ0 वाई0 के0 यादव ग्राम-गौरा उनरवार पोस्ट- चौबेपुर जिला- वाराणसी (सदस्य)

5- श्रीमती सरोज यादव पत्नी विजय बहादुर यादव ग्राम- तितिला पोस्ट- ऊँचहुवां जिला-आजमगढ़ (सदस्य)

6- श्री शिवनरायन यादव पुत्र रामनरेश यादव ग्राम गेल्हना पोस्ट- सिखड़ी जिला-गाजीपुर (सदस्य)

7- श्री जवाहर यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव ग्राम- टोइरपुर पोस्ट- खेताबपुर जिला-गाजीपुर (सदस्य)

8- श्री गरीब राम पुत्र वीरा राम ग्राम व पोस्ट- धामूपुर जिला-गाजीपुर (सदस्य)

9- श्री अनिल यादव पुत्र लालजी यादव ग्राम- झोटारी पोस्ट- धामूपुर जिला-गाजीपुर (सदस्य)

ट्रस्ट का नाम- ***माँ मेवाती एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट***

ट्रस्ट का पता- **ग्राम- झोटारी पोस्ट- धामूपुर जिला-गाजीपुर**

ट्रस्ट का मुख्यालय- **402 यूनाइटेड अपार्टमेन्ट कन्धारी लेन बी0एन रोड लालबाग लखनऊ**

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र- **सम्पूर्ण भारत वर्ष**

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों, एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा,

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515718

व्यवसायिक शिक्षा, व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कुचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना , खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रय आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना नारी उत्थान,बालोत्थान, कुष्ठा रोगी अस्पताल प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय समय से समय समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी0टी0 सी0, बी0 एड0 बी0पी0एड0, टैक्निकल कालेज सी0बी0ई0, आई0सी0एस0 ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उ0 प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना ।देश -विदेश से चंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा-आश्रम, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय महाविद्यालय, व्यवसायिक,

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515719

तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सीय, संस्थानों, आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रासलीला, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर, व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थय समस्याओं तथा सामाजिक कुरितियों, बुराईयों, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय अर्न्तराष्ट्रीय सेवाओं का समय साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना एवं सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह-उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भष्ट्राचार, निरोध, कानून, एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/ केन्द्र नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि। संस्कृत शिक्षा वन, आवास एवं शहरी नियोजन गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार, कल्याण, समाज, कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास एवं जल संस्थान, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार, एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन, एवं पंचायती राज, बैंकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन। भूमि विकास एवं जला संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्तकता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक, कल्याण, कृषि, विपणन, निर्यात, प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण, एवं सेवायोजन, प्राणी, उद्यान, एड्स, नियंत्रण, गंगा-यमुना आदि स्वेच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल, एवं स्वच्छता, सहकारी

बालजी पाण्डे

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515720

समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सैंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तिरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता, हेतु संरक्षण आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11 (5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

ट्रस्ट का कार्यकाल- ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन-पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी/पुत्र/पुत्रवधू/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी / मुख्य ट्रस्टी के पद का धारण करेंगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों को जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता- जन सेवा ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता- ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की सहमति से अर्हित सदस्यता शुल्क लेकर सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी प्रथम वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515721

प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से उचित सदस्यता शुल्क लेकर सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है। जिसका कार्यालय पांच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कारण बताकर हटा सकता है।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

मुख्य ट्रस्टी / संस्थापक ट्रस्टी प्रथम-

1- संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2- मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिए गये निर्णय सर्वमान्य होगें।

3- संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिमि के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

4- किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।

5- आवश्यक कागजात का हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

6- ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों को परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7- ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515722

कार्यवाही से अवगत कराना।

8- मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन क्रय-विक्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना।

9- मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेचा या खरीदा सकता है।

10- मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्टी के लिए सहयोग, चन्दा आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म एसोशियन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादी से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवकानुसार उसे व्यय करना है।

11- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

12- संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी भी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।

13- किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी भी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था /समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

14- ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रुप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरित कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515723

15- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकगी।

16- ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों को संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय-

1- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी का अवगत करायेगा।

2- बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा निर्देश देना।

4- नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।

5- ट्रस्ट (न्यास) नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही पदोन्नति निलम्बन एवं निष्काशन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित हैं

6- ट्रस्ट (न्यास) की उन्नति हेतु विभागों में समन्वय स्थापित कर योजनायें प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

61AB 859113

(न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

7- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों के बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चीत करना एवं सम्पूर्ण सदस्यों की जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी-

साधारण सभा में प्रबन्धकीयकारिणी ट्रस्ट समिति के निर्देश पर बैठक में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना। एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग-

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1- साधारण सभा

2- प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)- साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगें। इसके अतिरिक्त उचित सदस्ता शुल्क लेकर संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनायें जा सकते है। किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होगें। एवं इनकी अधिकतम संख्या 9 होगी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

बैठकें-

1- साधारण बैठकें- ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक

बैठक 24 घण्टे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

2- विशेष बैठक- दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यकता बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि- साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव, संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी की सहमति से 1 सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है विशेष परिस्थमि में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टीयों की बैठक बुलायी जा सकती है।

गणपूर्ति- बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन- साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जुन माह में होगा। ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य-साधार सभा ट्रस्टीयों के निम्नलिखित कर्तव्य होगें।

(अ) वार्षिक आय-व्यय बजट चेक करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित मे हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति-

गठन- साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होगें। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते है लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्धसमिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्धसमिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें-

सामान्य- सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव / संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष- विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी द्वारा 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि- साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति-प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति- यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त उचित सदस्ता

शुल्क लेकर रुपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर के निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य- प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

1- बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

2- ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

3- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, पदोन्नति विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।

4- आय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21- ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22- ट्रस्ट (न्यास) के कोष-

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी /महासचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

23- ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

25- ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख-

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे- सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

26- **माँ मेवाती एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट** (न्यास) के पास सदस्ता शुल्क के माध्यम से रूपया 5000.00 (पाँच हजार रूपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27- **ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही-** ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28- ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी का होगा।

29 ए- हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी, जूनियर, हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों /केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

29 बी- संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान

करना।

29 सी- केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

29 डी- आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर - चन्द्रभान यादव

28.12.2012

दस्तखत गवाह

हरिलाल यादव
पुत्र विश्वनाथ यादव
ग्राम - दामोदरपुर
पोस्ट - जखनियाँ
जिला - गाजीपुर

जवाहर यादव
पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव
ग्रा. लोहरपुर
पो. [illegible]
जि. [illegible]

[illegible]

आज दिनांक 24.12.17 को फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक सं० IV जिल्द 17 के पृष्ठ
115/114 पर क्रम सं० 105
पर पंजीकृत किया गया।

उप निबन्धक
जखनिया

जखनिया जिला गाजीपुर

सत्यमेव जयते